



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3222]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 3222]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

का.आ. 4025(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 208ए [किमी 0.00 से किमी 45.00 (कैलाशहर से कुर्ती पुल त्रिपुरा/असम सीमा खंड) तक को छोड़कर] के उतने भाग जो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित हैं।	त्रिपुरा राज्य सरकार।”

[फा.सं. एनएच-14013/19/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 3833(अ), दिनांकित 03.08.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2018

S.O. 4025(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 30 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
30	So much of National Highways No. 208A [excluding from Km 0.00 To km 45.00 (Kailashahar to Kurti bridge Tripura/Assam border Section)] as are situated within the State of Tripura.	State Government of Tripura.

[F. No. NH-14013/19/2014-P&M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 3833 (E), dated the 03.08.2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

का.आ. 4026(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, स्तंभ (3) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (1) और (2) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा, अर्थात्: —

सारणी

नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	चैनेज किमी में	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)	(4)
“44	(चुरईबारी से अगरतला खंड) (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 284.00 से किमी 482.00	198.00
44	अगरतला बाइपास (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 00.00 से किमी 12.90	12.90

108ए	(जोलईबारी –बोलोनिया – इंडो/बंगलादेश सीमा खंड) (त्रिपुरा राज्य में)	किमी 00.00 से किमी 22.90	22.90
------	---	--------------------------	-------

[फा.सं. एनएच-14013/19/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2018

S.O. 4026(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (4) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (3), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) and (2) of the said Table.

TABLE

New National Highway number	Section	Chainage in kilometers	Stretches in Kms.
(1)	(3)	(4)	
“44	[Churaibari to Agartala Section] (in the State of Tripura)	Km 284.00 to 482.00	198.00
44	Agartala bypass (in the State of Tripura)	Km 00.00 to km 12.90	12.90
108A	Jolaibari-Belonia-Indo/Bangladesh border Section) (in the State of Tripura)	Km 0.00 to 22.90 km	22.90

[F. No. NH-14013/19/2014-P&M (pt)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.